आदेश पत्रक

(दीवानी अभिलेख हस्तक 1951 का नियम 129)

जिला — गुमला सन् तक।

मुकदमा संख्या मी. 29/62

निकोदिम खड़िया बनाम जगदीश प्रसाद अग्रवाल

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	(आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित तारीख)

निकोदिम खड़िया वगैरह
बनाम
जगदीश प्रसाद अग्रवाल

मु० संख्या 29/62 बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम १९६९ के अन्तर्गत

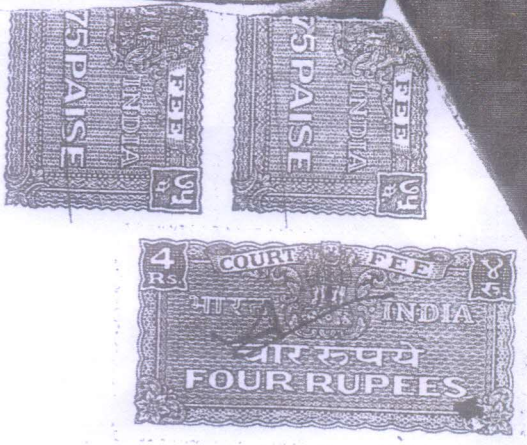

जमीन का विवरण

खाता नं०	प्लाट नं०	किस्म जमीन	रकबा
६ —	६१९	बाड़ी ईंट का घेरा	०.१० डी०
	"	ईंट का खपरैल मकान	०.०१ डी०
	६२०	पक्का कुआं	०.०१ डी०
		बाड़ी	०.०१ डी०
	"	बाड़ी	०.२९ डी०
	६२२	पक्का खपरैल मकान	०.०३ डी०
	"	पम्प हौस सिंचाई के लिए पक्का मकान	०.०१ डी०
			०.४६ डी०

२७/१/०४

महाशय, जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने अधिवक्ता की जमीन ग्राम सलडेगा के खाता नं० ६ प्लाट नं० ६१९, ६२०, ६२२ में ०.४६ डी० जमीन नजायज तरीके से कब्जा किया है। इसका विस्तृत विवरण आपका स्वाधीन द्वारा दिया गया है, जगदीश प्रसाद अग्रवाल पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाय।

सी० आई० ...
३१.१०.०१
अं० (नि०) सिमडेगा

आपका विश्वासी
सुरेश साहु
२६.१०.०१
आर्यचार्ज सिमडेगा

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

75 PAISE INDIA FEE

65
9/6/88

9.5.88 10.5.88. 31/5/88 31 5/

मुकदमा संख्या ... 28/69.62
निकोदिन खड़िया बनाम जगदीश प्रसाद ...

सेवा में,

अंचल पदाधिकारी मौकाम सिमडेगा।

द्वारा :- अंचल निरीक्षक सिमडेगा।

93
391

महाशय,

मौजा सलडेगा का खाता नं० 9 का प्लाट नं० 617 रकवा 1.0 24 डी० औ प्लाट 620 रकवा 0.42 डी. औ० प्लाट नं० 622 रकवा ... 52 डी० निकोदिन खड़िया औ ... खड़िया पेशरान पिलिप खड़िया वो संतोष खड़िया वो पौलुस खड़िया औ जसमन खड़िया पेश० उलियाजार खड़िया औ सोधा खड़िया ... खड़िया पेसरान पौलुस खड़िया औ ~~दोरु~~ दोरा ... मरगा खड़िया वल्द डोम्बा खड़िया का दाम ... रैयती जमीन है। जो कि आदिवासी मैं ... पंजी II में निकोदिन खड़िया वगैरह को ना...

... 7/6/88

दर्ज है को रसीद कटता है।

अब का स्थिति यह है कि जगदीश प्रसाद अग्रवाल वल्द जलीराम अग्रवाल ने उक्त खाता नं० ६ के प्लाट नं० ६१९ में से 0.11 डी० को प्लाट नं० ६२० में से 0.02 डी० को प्लाट नं० ६२२ में से रकबा 0.35 मिला जुमला रकबा 0.४६ डी को निम्न प्रकार से इनका घेरा दे कर बाड़ी कुआं मकान बना कर नजायज ढंग से दखल कर है इनके नाम से रसीद नहीं कटता है।

चूंकि यह आदिवासी की जमीन है अतः इन पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है।

ब० - अदालत श्रीमान् एस०डी०एम० सहायक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी मौकाम सिकंदरा
मु० सं० फौ० नं० 28 सन 62 ई०

निकोदिन साड़िया — आवेदक

बनाम

जगदीश प्रसाद अग्रवाल — विपरीत पक्ष।

27/11/88

गरीब परवर,

मुकदमें में दोनों पक्ष प्रार्थना करते हैं कि मुकदमें की जमीनों पर द्वितीय पक्ष विगत तीन वर्षों से अधिक समय से ~~काबिज~~ दखलकार है व पक्का मकान कुंआ वगैरह बना कर रह रहे हैं द्वितीय पक्ष व उनके पिता से प्रथम पक्ष व उनके भाई लगभग 6000/- छः हजार रुपये पहले ही पा चुके हैं

दूसरों के बहकाने में पड़कर प्रथम पक्ष ने
यह मुकदमा कर दिया था प्रथम पक्ष अब
दावा खारिज है वो ~~मह~~ अर्ज करता है कि
द्वितीय पक्ष का दखिलयत तकरारी जमीनों व
सम्पुर्द करने को हुक्म फरमाया जाय।
मुकदमे की जमीनों शहर के बाहर है वो
पथरीली जमीन को जिसे द्वितीय पक्ष के खुद
है

1st party Nicodim Khana Identyfied by me.
Sd/ Illigible
Advocate
5/6/73

Opp. party Identified by me
Sd/- Illigible
Advocate
6/6/88

आईन्दे हुजूर मालिक हैं।

ठेपा निशान - निशानी दिया राजी
जगदीश प्रसाद मित्तल
पु. द. 62

नायब सिया— [signature]

मिसाल सिया— [signature] 27/5/88

[signature] 31/5/98

65
१।५।८८ . १-५-८८. १०-५-८८, ३१।५।८८.३१ /

१. अदालत श्रीमान् एस०डी० सहायक उप समाहर्ता,
मोकाम: सिमडेगा।

मु० संख्या नं० २८ सन १९62-63 ई०

१।५।८८

निकोदिन खड़िया —— प्रथम पक्ष

बनाम

जगदीश प्रसाद जायसवाल —— द्वि० पक्ष।

द्वितीय पक्ष की विनम्र प्रार्थना है कि :—

(1) — कि मुकदमा बावत जमीन वाके मौजा सलडे

थाना सिमडेगा, जिला - रांची के खाता नं० ६ प्लाट नं० 619 रकबा 0.11 डि० वो प्लाट नं० 620 रकबा 0.02 डिसमिल वो प्लाट नं० 622 रकबा 0.3
डि० कुल रकबा 0.46 डिसमिल के बावत है

बावत है आने सुविधा के लिए
तकरारी जमीन की संज्ञा दी जाती
२ - के मुकदमें की जमीनों की सिद्दकी
के पिता ने प्रथम पक्ष के पिता से मां
से लगभग 20 साल से ज्यादा अर्सा पहले
खरीद लिया था तथा पक्का व कीमती
मकान व बगल चाहरदीवारी, कुआं पम्प
हाइड्रल शौचालय आदि बनाया है व बाद
में आटा चक्की भी लगाया है।
उपरान्त लिखा पढ़ी का कागज साथ
था व खर्च गया व बहुत खोजने पर
भी नहीं मिला तो बाद में सिद्दकी पर
प्रथम पक्ष का भाई हरदेवाज स्वामित्व से

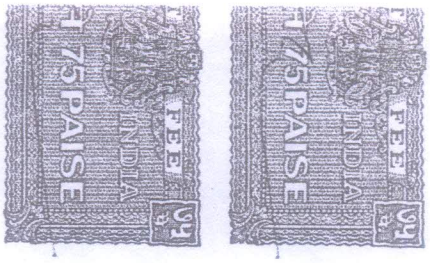

से एक और कागज लिखवाया वह बदकिस्मती से खो गया।

3. कि फिदवी ने कभी भी धोखाधड़ी उपरोक्त जमीन हासिल नहीं किया।

4- कि मुकदमा अवधि बाधित था है।

5. कि फिदवी वाजिब मुआवजा देने को तैयार है लेकिन जमीन शहर से बहुत दूर है।

6- कि अन्य बातें सुनवाई के समय पेश जायेगी।

इन कारणों से द्वितीय पक्ष प्रार्थना करते हैं कि इनका हक पक्का समझा जाय या वाजिब मुआवजा दिलवाकर पक्का कर दिया जाय।

By:
Sd/- Illegible
Advocate
23.1.83

आइन्दे ईश्वर मालिक है

ह0/- जगदीश प्रसाद

नकल किया — [illegible]
मिलान किया — [illegible] 27/1/84

[illegible]
31/3/[illegible]

ब॰ अदालत श्रीमान आर॰ एन॰ सहाय प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

मु॰ सं॰ अ॰ 28/62-63

निकोदिम खड़िया —— आवेदक

बनाम

जगदीश प्रसाद अगरवाल — विपक्ष

आ - फि - डा - वि - ट

मैं निकोदिम खड़िया वल्द स्व॰ फिलिप खड़िया उम्र लगभग 64 वर्ष - साकिन मौजा लटाखमन थाना ठेठाईटांगर जिला रांची हलफन बयान करता हूं :-

१. यह कि मौजा सरडेगा थाना सिमडेगा

The deponent who is identified by Sri R.P. Agrawal Advocate, solemnly affirmed before me the contents of this affidavit to be the best of his knowledge information and belief.

Sd/- Illegible
3/5/63
M. 1st class
Simdega

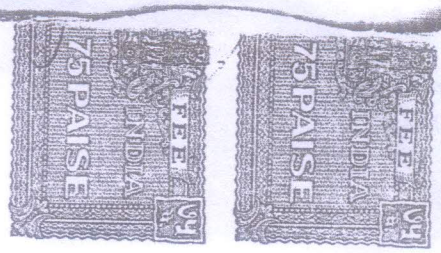

FEE INDIA 75 PAISE

FEE INDIA 75 PAISE

सालडेगा जिला रांची के खाता नं
७ प्लाट नं० ६१९, ६२०, ६२२ रकबा
कुल तीनो प्लाट नं० 0.४९ डिसमिल
जमीन टांड़ पर जगदीश प्रसाद अग्रवाल
वल्द श्री जालिराम अग्रवाल साकिन
सिमडेगा थाना सिमडेगा जिला - रांची
दखलकार है जिसके बावत मैं ने
उनके खिलाफ दायर किया है जिस
मुकद्दमा नं शेडयूल २९ सन १९८२-
८३ है जो ब-अदालत श्रीमान
एस एन सहाय - उप दंडाधिकारी
सिमडेगा के पास चल रहा है।

ह० २/१/८८

२. यह कि, मैंने लोगों के बहकावे
में उपरोक्त मुकदमा कर दिया है
लेकिन अब मुझे अफसोस हो
रहा है।
३. यह कि, ऊपर लिखी जमीन को मेरे
पिता ने जगदीश प्रसाद अग्रवाल के
पिता को लगभग २८-३५ वर्ष पहले
ही दिया है। जिस पर उन्होंने पक्की
चाहर दिवारी कुआ पक्का मकान
व बगीचा लगाया है।

ह० नि० निलोदिन खाड़िया
ना बालिग चिन्तामनी दास
३.५.०३

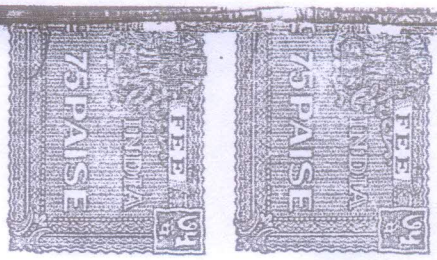

65
7/5/88 7/5/88 10.5.88 31/5/88 31 [illegible]

मैं निजामुद्दीन खाड़िया हलफ़न तसदीक करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में लिखी गयी तमाम बातें जो धारा 1 से 6 तक लिखी गयी हैं मेरी जानकारी अगाही और विश्वास में बिल्कुल सही और सत्य है

[illegible] 27/5/88

Deponent is identified by Sri [illegible] Advocate
[illegible]
3.6.88

ह० नि० निजामुद्दीन खाड़िया
वो [illegible]
[illegible]

नकल लिया — [illegible] 27/5/88

मिलान किया —

[illegible] 31/5/88

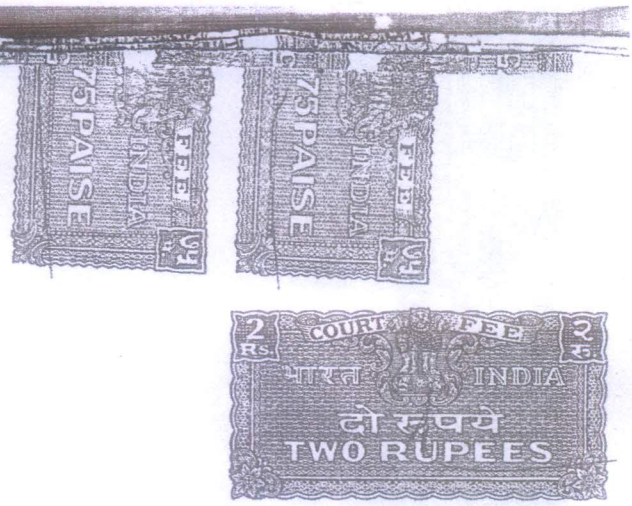

ब- अदालत श्री एस० एन० सहाय उपदंडाधिकारी
सिमडेगा।

श्री निकोदिम खड़िया बनाम श्री जगदीश प्र

नोटिस बनाम जगदीश प्रसाद ~~पे~~ वल्द स्व
जानीराम अग्रवाल

ग्राम - थाना जिला रांची
सिमडेगा।

श्री·मु० सं०
29
62

आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित कि
जाता है कि ग्राम सालडेगा थाना सिमडेगा
जिला – रांची

खाता नं०	प्लाट नं०	एकड़
४	619	0·11
	620	0·02
	622	0·33
		0·46 डी०

27/1/18

की खरीद बिक्री छोटानागपुर अधिनियम अं
1908 के नियम 4 दस एवं इस नियम के हे
के विरुद्ध में किया है।

अतः आप दिनांक 6.6.62 को
या विधि के द्वारा उपस्थित होकर
दाखिल करें उक्त जमीन की अधिनियम
अनियमित खरीद बिक्री को क्यों नर
किया जाय और उक्त जमीन को क्यों
धारा 71 अ० नि० को वापस कर
दिया जाय।

ह० अस्पष्ट
उपदण्डाधिकारी, रां०

नकल किया — [signature] 27/5/88

मिलान किया — [signature] 27/5/88

[signature] 31/5/88

आदेश

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 1306 दि० 31/10/61 के आधार पर बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अन्तर्गत यह कार्यवाही दिनांक 3.5.62 को प्रारम्भ की गयी थी विवादी भूमि का ब्योरा इस प्रकार है:-

मौजा सलडेगा थाना सिमडेगा

खाता नं०	प्लाट नं०	रकबा
5	619	0.11
	620	0.02
	622	0.33
		0.46

उक्त मुकदमे में दिनांक 2.5.69 को उपरान्त पक्ष निकोदिन खड़िया ने एक शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें उसने कहा कि उसके पिता ने द्वितीय पक्ष जगदीश अग्रवाल के पिता को विवादी भूमि 30, 35 वर्ष पहले ही बेच दिया था और उसने यह मुकदमा दूसरे के बहकावे में आकर कर दिया। उसी आधार से मिलता जुलता दोनों पक्षों ने एक सम्मिलित आवेदन पत्र दिनांक 5.6.63 को भी दिया जिसमें यह कहा

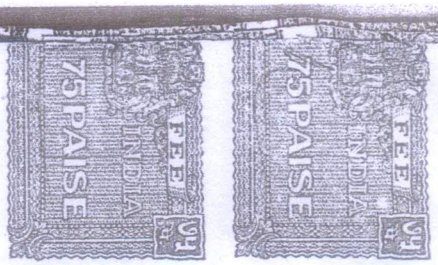

कहा गया है कि मुकदमें की जमीन पर द्वितीय पक्ष गत 20 वर्षों से अधिक समय से दखलकार है और और वह पक्का मकान कुंआ कमरा इत्यादि बनाकर वहां रह रहा है।

8/1/88

चूंकि प्रथम पक्ष ने एक शपथ पत्र एवं एक आवेदन पत्र देकर यह कहा कि विवादी भूमि पर उसका गत 20 वर्षों से ज्यादा से कब्जा नहीं रहा है अतः विवादी भूमि को प्रथम

प्रथम पक्ष को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अन्तर्गत नहीं लौटाया जा सकता है इस परिस्थिति में कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह०/- अस्पष्ट
8/8/73
दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

ह०/- अस्पष्ट
8/8/73
दंडाधिकारी, सिमडेगा

नकल किया - [signature] 27/5/88 — 4.50

मिलान किया - [signature] 27/5/88 — 20.75

15.00

11+5 =16

Certified to be a true copy

[signature] 2/5/88 Rupees forty and twenty five paise — 40.25

[signature] 2/5/88
Officer-in-charge copying

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

ब- अदालत जनाब अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा

आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक १९५१ का नियम १२९)

जिला - गुमला --- से --- तक।

मुकदमा संख्या - SAR 4/९०-९१

निकोदिम खड़िया बनाम राधेश्याम मितल.

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर किए कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
३०.९.९१	वाद संख्या - एस० ए० आर० 4/९०-९१ आवेदक — निकोदिम खड़िया बनाम प्रतिपक्षी — राधेश्याम मितल	
ह० 11/3/92	**आदेश** श्री निकोदिम खड़िया वल्द स्व० फिलीप खड़िया ग्राम - सलडेगा थाना - सिमडेगा	

ने मौजा सलडेगा के खाता नं० 6 के प्लाट नं० 719, 720, 724 एवं 727 रकबा क्रमशः 0.40, 0.05, 0.38, एवं 0.07 डिसमील कुल रकबा 0.90 डिसमील जमीन वापसी का आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि विपक्ष राधेश्याम प्रसाद मित्तल पिता स्व० जगदीश प्रसाद मित्तल ग्राम - सलडेगा थाना - सिमडेगा ने गैरकानूनी तरीके से आवेदक जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है की जमीन हड़प लिया है जिसे वापसी हेतु अनुरोध करते हैं।

11/3/92

दोनों पक्षों द्वारा इस मामले में जवाब दाखिल किया गया है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन

२५ पैसे COURT 25P 10P भारत 25P.

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी सिमडेगा एवं अंचल अमीन सिमडेगा से प्राप्त प्रतिवेदन का भी अध्ययन किया गया। आवेदक का कहना है कि विवादी जमीन गत रिवीजनल सर्वे में इलियास खड़िया वल्द मुक्कु खड़िया (वगैरह) के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयतों के वंशजों के बीच बंटवारा होने के ~~बाद~~ पश्चात विवादी जमीन आवेदक के पिता के हिस्से में पड़ी तथा दाखिल खारिज मुकदमा सं० 144/76-77 के अनुसार विवादी जमीन का जमाबन्दी आवेदक के नाम से कायम हुआ। अपने जवाब में विपक्षी स्वीकार करते हैं कि विपक्षी का विवादी जमीन पर कोई कित्ता ... है तथा फलदार वृक्ष

11/3/92

लगाकर घेराबन्दी किए हुए है। आवेदक स्वीकार करते हैं कि पूर्व में वर्ष 1972 में S.A.R. वाद सं० 29/72 द्वारा उभय पक्षों के बीच मुकदमा चला था जिसमें मात्र 0.46 डिसमील जमीन का फैसला विपक्ष के पक्ष में हुआ था। आवेदक शेष 0.44 डि० जमीन का मुआवजा की मांग करते हैं। विपक्ष का कहना है कि S.A.R मुकदमा सं० 29/72 द्वारा दिनांक 8.6.1973 को प्लाट नं० 719 रकबा 0.11 डिसमील प्लाट नं० 720 रकबा 0.02 डिसमील प्लाट नं० 722 रकबा 0.33 डिसमील कुल रकबा 0.46 डिसमील का फैसला विपक्ष के पिता स्व० जगदीश प्रसाद के पक्ष में हुआ था। विपक्ष का कहना है कि अब इस मामले में सिर्फ 0.44 डिसमील

11/7/12

२५ पैसे
COURT 25 P. COURT 5 P. COURT 10 P. COURT 10 P. COURT 10 P.
भारत
TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि दें तारीख Date of making over copy to the applica

डिसमील का मुकदमा चलाया जाय।
विपक्ष का यह भी कहना है कि अनुसूचित
क्षेत्र विनियम अधिनियम 1969 लागू
होने के पूर्व ही आवेदक के पूर्वजों से
40-45 वर्ष पूर्व 6,000/- (छः हजार)
रुपया में जमीन क्रय की गयी थी।
दोनों पक्षों की सुनवाई एवं
S.A.R वाद सं० 74/72 में पारित आदेश
की अभिप्रमाणित प्रति की फोटो प्रति के
11/8/92 अवलोकन से पता चलता है कि उभय पक्षों
के बीच जमीन वापसी का विवाद चला
था। उस वाद में दोनों पक्ष ने एक सम्मि-
लित आवेदन दिया था कि द्वितीय पक्ष
0.46 डिसमील जमीन पर 30 वर्षों से
अधिक समय से दखलकार हैं और द्वितीय
पक्ष का मकान कुआं बागान बनाकर रह रहे हैं।

इस वाद में विहान दण्डाधिकारी ने विवादी जमीन पर 30 वर्षों से अधिक अवधि से गैर अखलयार पाकर जमीन वापसी की कार्यवाई समाप्त कर दी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से यह स्पष्ट होता है कि विवादी जमीन पर विपक्ष का पक्का मकान, कुआं इत्यादि हैं। जिसका मूल्यांकन निश्चित ही 10,000/- (दस हजार) रुपया से अधिक है। SAR वाद सं० 29/72 में दिनांक 8.6.1973 को विहान दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि उस समय भी विवादी जमीन पर विपक्ष का पक्का मकान इत्यादि काफी पूर्व से निर्मित था। दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि विपक्ष का पक्का निर्माण घेराबन्दी वर्ष 1969 के पूर्व से ही

11/3/82

२५ पैसे

COURT 25

COURT 25

COURT 10

5P.

भारत

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

गी है और विपक्ष के पक्ष में आवेदक
के पूर्वजों से विवादी जमीन का अन्तरण
किया है। विपक्ष का पक्का मकान कुआं
घेराबन्दी 1969 के पूर्व होने पर भी
विपक्ष के पक्ष में जो अन्तरण हुआ है
उसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
की धारा 46 का उल्लंघन हुआ है। अत:
ऐसी स्थिति में विपक्ष के पक्ष में हुए
11/3/82 → अन्तरण को C.N.T. की धारा 71 ए के
अन्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारित कर सम्पुष्ट
(Validation) करने का प्रावधान है।
अब प्रश्न उठता है कि किस किस प्लाट
के कितने भाग में विपक्ष का मकान, कुआं
घेराबन्दी है। अंचल अमीन, रामडेगा के
द्वारा जमीन की पक्की मापी की गई है।

और निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ट्रेस नक्शा अंचल अधिकारी, सिमडेगा द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्लाट नं० 720 रकबा 0.12 डिसमील प्लाट नं० 719 रकबा 0.19 डिसमील प्लाट नं० 722 रकबा 0.33 डिसमील तथा प्लाट नं० 721 रकबा 0.12 डिसमील में विपक्ष का मकान बारी कुआँ इत्यादि है। उनके प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्लाट नं० 720, 721, एवं 722 हाता के अन्दर है तथा प्लाट नं० 719 मकान बारी हाता के उत्तर में है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत D आरा शुद्धि पत्र से प्रतीत होता है कि प्लाट नं० 721 उनकी जमीन नहीं है तथा जमीन वापसी के आवेदन में भी 721 का कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि प्लाट नं०

11/7/12

२५ पैसे

COURT 25 P. भारत २५ पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

25P.

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि दे तारीख Date of making ove copy to the applica

नं० 721 का प्लाट से सम्बन्धित नहीं है
अतः इस प्लाट के सम्बन्ध में कोई निर्णय
नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति
में अंचल अमीन के प्रतिवेदन से संतुष्ट
होकर मैं इस निष्कर्ष पर पंहुचता हूँ कि
प्लाट नं० 719 रकबा 0.19 डिसमील, प्लाट
नं० 720 रकबा 0.12 डिसमील तथा प्लाट नं०
722 रकबा 0.33 डिसमील कुल रकबा
0.64 डिसमील जमीन पर विपक्ष का वर्ष
1969 के पूर्व से पक्का मकान इत्यादि
है।

(हस्ताक्षर) 11/3/92

S.A.R. वाद सं० 29/72 में पूर्व
में ही 0.46 डिसमील के संबंध में निर्णय
विपक्ष के पक्ष में हो चुका है जबकि
विपक्ष 0.64 डिसमील जमीन पर मकान
घेरा इत्यादि बनाए हुए है। ऐसी स्थिति

मैं इस मामले में 0.18 डिसमील जमीन पर निर्णय दिया जा रहा है जो प्लाट नं० 719 का 0.08 डि० एवं प्लाट नं० 720 पर 0.10 डिसमील जमीन पर सम्बन्धित है। अतः उपरोक्त चर्चित तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित शर्तों पर विपक्षी के पक्ष में किए गए अन्तरण को सम्पुष्ट (Validation) किया जाता है:-

11/3/92

S.A.R वाद सं० 86/87 में दिनांक 30.7.88 को ग्राम सलडेगा की जमीन का 20,000=00 (बीस हजार) प्रति एकड़ तथा S.A.R वाद संख्या 48/88-89 में मौजा सलडेगा की जमीन का 50,000=00 (पचास हजार) प्रति एकड़ की दर से क्षतिपूर्ति निर्धारित कर मुआवजा भुगतान किया गया है। अतः इस मामले में 50,000=00 (पचास हजार) प्रति एकड़ की दर से 0.18 डिसमील

२५ पैसे

COURT 25P | COURT 25P | COURT 5P | COURT 5P

भारत
TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant

डिसमील जमीन का 9,000=00 (नव हजार) स्वरूप क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाता है। विपक्ष एक पक्ष के अन्दर सिमडेगा के किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में आवेदक के नाम खाता खुलवाकर क्षति-पूर्ति की राशि आवेदक के खाते में जमा करवा दें तथा पास बुक न्यायालय में उपस्थापित करें।

[signature] 1/3/92

लेखापित
ह०/- आर० एन० सहाय
30/9/91
अनुमंडल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

ह०/- आर० एन० सहाय
30/9/91
अनुमंडल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

8.10.91 दिनांक 30.9.91 के आदेश के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हैं। विपक्षी राधेश्याम मित्तल पिता स्व० जग-दीश प्रसाद मित्तल ग्राम सलडेगा थाना सिमडेगा ने आवे-दक श्री निकोदिम खड़िया पिता स्व० फिलिप खड़िया ग्राम [illegible]

कमर्शियल बैंक सिमडेगा शाखा के खाता नं० 4867/25 मे चेक संख्या 069690 द्वारा भुगतान कर न्यायालय मे पासबुक प्रस्तुत किया है।

आवेदक के पेपा निमानों को सरकारी अधिवक्ता ने अभि प्रमाणित किया है। मेरे समक्ष आवेदक को पास बुक सौंपा गया। अभिलेख की कार्रवाई बन्द करें।

ह०/- आ० ए०० सहाय
8/X/91

O.L.T.J.

Identified Hicodim Kharia who is present in the Court to whom payment has been made for Rs 9000/- and Cheque No. 069690 Hicodim Kharia Dungdung has been deposited in the Pass Book of Hicodim Kharia which he admitted in the Court and has appended the thumb impression.
Sd/- Illegible

नकल किया - [signature]

मिलान किया - [signature] 17/3/92

Certified [illegible]
[signature] 17.3.92
[illegible stamp]

	4.50
	10.65
	13.25
	2.50
	30.90

Rupees thirty and Paise ninety only

Court of Subjudge-I, Simdega
P.S. 7/10
EFA &
Subjudge-I
26.8.13

[signature] 17/3/92

Officer in charge
Copying Section,
Simdega.

[signature]
17/3/92